

3-5-18 पत्रावली कॅम्प कोर्ट मॅकपुरा में प्रेषित है।
इस प्रकरण से संबंधित वाद पत्र का निर्णय
हो चुका है। ज. पत्र अल्थाई निषेधाज्ञा 87
कोई औचित्य नहीं है। अतः ज. पत्र अल्थाई
निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज ही जाती है।
पत्रावली कॅम्प अकार होकर नम्बर 11 30
है। पत्रावली दारिद्र्य दफ्तर है।

10
उपखण्ड अधिकारी